

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी—

रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

67 / 2024 प्रा.पत्र / 2024

04.09.2024

29.11.2024

सुरेश कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण,  
टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा निवासी ग्राम कैथूनिया उर्फ अहमदपुरा  
पोस्ट बिडोली तह. निवाई जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स शर्मा दूध डेयरी बडी के मन्दिर के सामने  
जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड—304021 मोबाईल नं0 9785925773

2—मैसर्स शर्मा दूध डेयरी बडी के मन्दिर के सामने जयपुर रोड निवाई जिला टोंक राज0।  
पिनकोड—304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप  
धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपरिथत—

1—पेरोकार सरकार।

2—अभिभाषक अप्रार्थी श्री कैलाश प्रसाद शर्मा उप.।

:-निर्णय:-

दिनांक 29.11.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक  
19.02.2024 को समय 02:00 पीएम पर मैसर्स शर्मा दूध डेयरी बडी के मन्दिर के सामने जयपुर  
रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री  
गोविन्द नारायण शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स शर्मा दूध डेयरी बडी के मन्दिर के सामने जयपुर रोड  
निवाई मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र  
श्री गोविन्द नारायण शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य  
अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र ऑनलाईन आवेदन करना बताया एवं बाद में  
आवेदक के कार्यालय में प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम  
जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान के डीप फीजर में एक केन में लगभग 20-25 लीटर मिक्सड  
मिल्क दिखा था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण



  
प्रांतोरेक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री शंकर लाल शर्मा को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री शंकर लाल शर्मा व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मिक्सड मिल्क वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, कुल 2 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्सड मिल्क 2 लीटर को अलग-अलग चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 500-500 एम.एल मिक्सड मिल्क भरकर प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40-40 बूंदे डालकर अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3887 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3887 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जापते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/268 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/562/एक्ट/2024/766 दिनांक 29.02.2024 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया मिक्सड मिल्क खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में दायर किया।



प्रतिरेक्त जिला बाजस्ट  
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश प्रसाद शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र Milk fat के लिए किए गए जांच में उक्त खाद्य पदार्थ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सड मिल्क** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सड मिल्क** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.11.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति वसूली की कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(समरतन सािकरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोक-राज0